भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1410

बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>तमिलनाडु में पीएम-कुसुम की स्थिति</u>

1410. कुमारी सुधा आर.: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत पंजीकृत किसानों, किसानों के समूहों, कलेक्टिवस, एफपीओ और अन्य लाभार्थियों की राज्य-वार और विशेषकर तमिलनाडु राज्य के लिए जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) घटक ख के अंतर्गत राज्य-वार और तमिलनाडु के लिए जिला-वार कितने स्टैंड एलोन सौर कृषि पंप संस्थापित किए गए है;

(ग) इस योजना के घटक ग के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार और तमिलनाडु के लिए जिला-वार संख्या कितनी है;

(घ) घटक-ग के अंतर्गत उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा और इसके माध्यम से सृजित कुल राजस्व का राज्य-वार और विशेषकर तमिलनाडु के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): सरकार ने मार्च, 2019 में पीएम-कुसुम योजना की शुरुआत की, जिसका विस्तार जनवरी, 2024 में किया गया है और इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं:-

i. घटक-कः किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना।

ii. घटक-खः 14 लाख स्टैण्ड अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना।

iii. घटक-गः फीडर स्तर के सौरीकरण सहित 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण।

तीनों घटकों को मिलाकर, 34.8 गीगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है।

पीएम-कुसुम के घटक-क के तहत, डिस्कॉम संभावित किसानों से रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं, जहाँ वे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा करते हैं।

घटक-ख और घटक-ग के व्यक्तिगत पंप सौरीकरण (आईपीएस) के तहत, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ (एसआईए) निर्धारित प्रारूप में पंपों की स्थापना और सौरीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करती हैं।

योजना के विभिन्न घटकों के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का रखरखाव राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा किया जाता है। एसआईए द्वारा एमएनआरई को केवल स्थापना के आंकड़ों की सूचना दी जाती है। हालांकि, तमिलनाडु राज्य के लिए घटक-ख हेतु एसआईए द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 4381 पंजीकृत लाभार्थी की तुलना में 3187 पंप स्थापित किए जा चुके हैं। तमिलनाडु राज्य में योजना के घटक-ख के अंतर्गत लाभार्थियों और स्थापना के जिला-वार ब्यौरे अनुलग्नक-**I** में दिए गए हैं।

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत स्थापनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): पीएम-कुसुम योजना एक मांग आधारित योजना है और राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर आवंटन किए जाते हैं। योजना के घटक-ग के तहत तमिलनाडु राज्य से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) पीएम-कुसुम लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय अनुलग्नक-**III** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-**I**

'तमिलनाडु में पीएम-कुसुम की स्थिति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1410 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

तमिलनाडु राज्य में लाभार्थियों का जिला-वार विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या	स्थापित पंपों की संख्या
1	कांचीपुरम	61	49
2	चेंगलपेट	68	51
3	तिरुवल्लुर	103	72
4	वेल्लोर	107	95
5	तिरुपट्टुर	37	23
6	रानीपेट	47	30
7	तिरुवन्नामलई	53	39
8	विल्लुपुरम	107	82
9	कल्लाकुरिची	95	47
10	कुड्डालोर	96	63
11	सलेम	228	165
12	नमक्कल	105	64
१३	धर्मपुरी	88	46
14	कृष्णागिरी	85	62
15	कोयंबटूर	55	37
16	इरोड	91	68
17	तिरुपूर	69	39
18	तंजावुर	159	127
19	थिरुवरुर	144	113
20	नागपट्टिनम	39	23
21	माइलादुत्रयी	55	23
22	त्रिची	165	118
23	करूर	84	64
24	अरियालुर	176	151
25	पेरम्बलुर	103	71
26	पुडुकोट्टई	160	131
27	मदुरै	126	106
28	थेनी	136	99
29	डिंडुगल	156	100
30	विरुधुनगर	196	170
३१	शिवगंगई	214	151
32	रामनाद	88	70
33	तिरुनेलवेली	279	185
34	तेनकासी	96	61
35	थूथुकुडी	264	207
36	कन्याकुमारी	101	86
37	नीलगिरी	145	99
	कुल	4381	3187*

*स्थापित संख्याओं का अंतिम मिलान महीने के अंत में एसआईए द्वारा प्रस्तुत अद्यतन मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) के आधार पर किया जाता है।

अनुलग्नक-II

'तमिलनाडु में पीएम-कुसुम की स्थिति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1410 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएम कुसुम में स्थापनाओं की संख्या (दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	घटक-ए		घटक-ख के तहत स्थापित पंपों की संख्या	घटक-ग के तहत सौरीकृत पंपों की संख्या
		लाभार्थियों की संख्या	स्थापना (मेगावाट में)		
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	259	0
2	असम	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	3	4	0	0
4	बिहार	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	6399	0
6	गोवा	0	0	0	700
7	हरियाणा	2	2.25	102973	0
8	हिमाचल प्रदेश	50	23.4	638	0
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	1425	0
10	झारखंड	0	0	15051	0
11	कर्नाटक	0	0	1368	0
12	केरल	0	0	8	6135
13	लद्दाख	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	12	20.13	7325	0
15	महाराष्ट्र	2	6	119306	3650
16	मणिपुर	0	0	78	0
17	मेघालय	0	0	96	0
18	मिजोरम	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	65	0
20	ओडिशा	0	0	3766	0
21	पुडुचेरी	0	0	0	0
22	पंजाब	0	0	12952	0
23	राजस्थान	154	201	72603	3007
24	तमिलनाडु	0	0	3236	0
25	तेलंगाना	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	0	0	2828	50
27	उत्तर प्रदेश	0	0	46743	0
28	उत्तराखंड	0	0	318	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	20
30	अंडमान और निकोबार	0		0	0
	कुल (जून 2024)	223	256.78	397437	13562

अनुलग्नक-**III**

'तमिलनाडु में पीएम-कुसुम की स्थिति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1410 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III**

पीएम-कुसुम योजना के कार्यान्वयन और आउटरीच के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- पीएम-कुसुम योजना का विस्तार दिनांक 31.03.2026 तक किया गया है।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप के द्वीप और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में क्लस्टर/सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं में प्रत्येक किसान के लिए 15 एचपी (7.5 एचपी से बढ़ाकर) तक की पंप क्षमता के लिए व्यक्तिगत किसानों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध है।
- किसानों को कम लागत वाले वित्तपोषण की उपलब्धता के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ बैठकें।
- स्टैण्ड-अलोन सौर पंपों की खरीद के लिए राज्य-स्तरीय निविदा की अनुमति।
- प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से 24 महीने तक कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा में विस्तार किया गया।
- घटक-क और घटक-ग (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के तहत प्रदर्शन बैंक गारंटी की आवश्यकता में ढील दी गई है।
- योजना के तहत लाभ बढ़ाने में तेजी लाने के लिए इंस्टॉलर आधार बढ़ाने के लिए निविदा शर्तों में संशोधन किया गया है।
- किसानों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत योजना के घटक-ख और ग के तहत पंपों का सौरीकरण।
- योजना को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों के तहत शामिल किया गया है ताकि ऋण तक पहुंच को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा, कई बैंकों ने इस योजना के लिए ऋण देने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- स्थापना की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सौर पंपों के विनिर्देशों और परीक्षण प्रक्रिया को समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- योजना की निगरानी के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर वेब पोर्टल बनाए गए हैं।
- सीपीएसयू के माध्यम से प्रचार और जागरुकता का आयोजन किया गया।
- योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया गया है।
- प्रगति की नियमित निगरानी और कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव और हितधारकों से प्रतिक्रिया के आधार पर योजना दिशानिर्देशों में स्पष्टीकरण और संशोधन जारी किए गए।
- योजना के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए जनवरी, 2024 में संशोधित व्यापक योजना दिशानिर्देश जारी किए गए।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों के साथ 10 से अधिक समीक्षा बैठकें की गई हैं।
- आउटरीच बढ़ाने और आईईसी गतिविधियों के लिए एक समर्पित एजेंसी को काम पर रखा गया है।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर का बैंकर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है।
- घटक-ख और ग के तहत 49 लाख पंपों की सभी लक्षित मात्रा राज्यों को आवंटित की गई है।
- योजना के तहत सरलीकृत प्रक्रिया को समझाते हुए मई, 2024 में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

*****